

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

संशोधन प्रार्थना—पत्र संख्या – (1-3.) १५/१४, १६/१४ व १७/२०१४ जिला .....अजमेर.....

उनवान : मैसर्स अजमेर ऑटो एजेंसीज प्रा० लिमिटेड, जयपुर रोड, अजमेर जरिये निदेशक श्री भावुक सहगल  
बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अजमेर

<b>तारीख</b> हुक्म	<b>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज</b>	<b>नम्बर व तारीख</b> अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
०७/०३/२०१४	<p style="text-align: center;"><b>खण्डपीठ</b>  <b>श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य</b>  <b>श्री अमर सिंह, सदस्य</b></p> <p>अपीलार्थी प्रार्थी की ओर से अपील संख्या क्रमशः १६१५, १६१६ व १६१७/२०१२/अजमेर में खण्डपीठ द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक २६.१२.२०१३ में संशोधन प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। संशोधन प्रार्थना—पत्रों के साथ स्थगन प्रार्थना—पत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें प्रार्थना की गई है कि कर बोर्ड की खण्डपीठ के उक्त निर्णय दिनांक २६.१२.२०१३ की क्रियान्विति पर रोक लगाई जावे तथा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अजमेर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के आदेश दिनांक २२.२.२०१२ पर भी संशोधन प्रार्थना—पत्र के निर्णय तक रोक लगाई जावे एवं प्रत्यर्थी को प्रार्थी के विरुद्ध कठोर कदम (Coercive action) उठाने से रोका जावे।</p> <p>इन तीनों संशोधन प्रार्थना—पत्रों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने से इन तीनों प्रार्थना—पत्रों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।</p> <p>प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री एस. के. जैन तथा प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक श्री जमील जर्झ की बहस सुनी गयी।</p> <p>प्रार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का कथन है कि खण्डपीठ द्वारा निर्णय दिनांक २६.१२.२०१३ में रेकॉर्ड पर उपलब्ध भूल को संशोधित किया जाना आवश्यक है। संशोधन प्रार्थना—पत्रों में वर्णित आधारों के अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार योग्य होने के कारण निर्णय दिनांक २६.१२.२०१३ पर रोक लगाने की प्रार्थना की है। उनका कथन है कि खण्डपीठ ने इन्टरनेट से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है, जबकि खण्डपीठ के एक सदस्य द्वारा अन्य प्रकरण (2014) 38 Tax Update Digest of Important Decisions Page 3 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स राजेश आर भोसले में इन्टरनेट के दस्तावेजों को आधारहीन माना है, जब तक कि वे संबंधित प्राधिकारी/व्यवहारी द्वारा सिद्ध नहीं हो जायें। यह भूल रेकॉर्ड से परिलक्षित होना बताया। यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार को गलत स्वीकार करना, घोषणा पत्र 'सी' फॉर्म व वैट-४७ के बिन्दु पर कर</p>	बिन्दु २ लगातार.....2

Ճամանակագրություն՝ Եկեղեցաքայլ՝ Հայոց Հայ Գիշայալիք

七

ମନ୍ତ୍ରାଲୟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଦୀପରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ନେହି କୁଳିତ କୁ  
କୁଳିତ କୁ କୁଳି  
କୁଳିତ କୁ କୁଳିତ  
କୁଳିତ କୁ କୁଳି

ବ୍ୟାକ

**፩፻፲፭ : የፌዴራል ማስታወሻ መሆኑን አገልግሎት**

ቍል ከፌታ ተከታታለ የቤት ማቅረብ - (1-3), 15/14, 16/14 ዓ 17/2014 የዚህ ስነዎች



፳፻፲፭ ‘፳፻፲፭ ማ ተከታታይ

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

संशोधन प्रार्थना—पत्र संख्या – (1-3.) 15/14, 16/14 व 17/2014 जिला .....अजमेर.....

उनवान : मैसर्स अजमेर ऑटो एजेंसीज प्रा० लिमिटेड, जयपुर रोड, अजमेर जरिये निदेशक श्री भावुक सहगल  
बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन, अजमेर

<b>तारीख</b> <b>हुक्म</b>  <b>07/03/2014</b>	<p style="text-align: center;"><b>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज</b>  <b>-: 3 :-</b></p> <p>condition of furnishing adequate security to the satisfaction of the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner in this behalf; and the amount found ultimately due shall be subject to interest from the date it became first due, in accordance with the provisions of this Act.</p> <p>इस प्रावधान के तहत कर बोर्ड को उनके समक्ष लम्बित अपील में निचली अदालत के निर्णय में वसूली योग्य राशि पर रोक लगाये जाने का क्षेत्राधिकार विधायिका द्वारा दिया गया है।</p> <p>प्रार्थी के विवाद अधिकृत प्रतिनिधि का यह भी तर्क रहा है कि माननीय सदस्य द्वारा उद्धरित निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम राजेश आर भौसले में इन्टरनेट से प्राप्त दस्तावेज को आधारहीन माना है। निर्णय के तथ्य अनुसार इन्टरनेट में जांच पर क्रेता—विक्रेताओं के पंजीयन सम्बन्धी आधार को उचित नहीं माना गया है। प्रस्तुत प्रकरण में तथ्य भिन्नता को देखते हुए प्रार्थी को निर्णय सहायक नहीं है।</p> <p>संशोधन प्रार्थना—पत्र में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होना प्रतीत होता है। अतः संशोधन प्रार्थना—पत्र द्वारा की गई प्रार्थना खारिज की जाती है।</p> <p>परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तीनों संशोधन प्रार्थना—पत्र खारिज किये जाते हैं।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right; margin-top: -20px;">           ३०३/०३/१४          सदस्य          राजस्थान कर बोर्ड,          अजमेर       </p> <p style="text-align: right; margin-top: -20px;">           ०७/०३/१४          सदस्य          राजस्थान कर बोर्ड,          अजमेर       </p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
---	--	--

